कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 283/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना–सरायमीरः साइबर फ्राड के 15,000 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 06.02.2025 को आवेदक मिथिलेश यादव पुत्र लालजीत यादव निवासी ग्राम मंजीरपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को सोशल मीडिया साइट फेसबुक मैसेंजर से घर के बगल के व्यक्ति की फोटों के माध्यम से चैट किया गया जिसमे विपक्षी द्वारा बताया गया कि वह सऊदी में फंसा हुआ हैं उसे 40,000 रूपये की जरूरत हैं। आवेदक द्वारा विपक्षी के बताये खाते में 40,000 रूपये ट्रांसफर कर दिये गये। आवेदक को फ्राड की जानकारी होने पर साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 231022xxxxxxx पंजीकृत करायी गयी। उक्त साइबर पोर्टल पर शिकायत से 15,000 रू0 HDFC बैंक व 25,000 रू0 अमेजन पे वैलेट कुल 40,000 रूपये होल्ड हो गये है।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर आपरेटर सौरभ थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा HDFC बैंक में होल्ड हुए 15,000 रूपये आवेदक के खाते में दिनांक 08.08.2025 को वापस करा दिया गया तथा शेष पैसों की रिकवरी प्रक्रिया प्रचलित हैं।

पुलिस टीमः-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

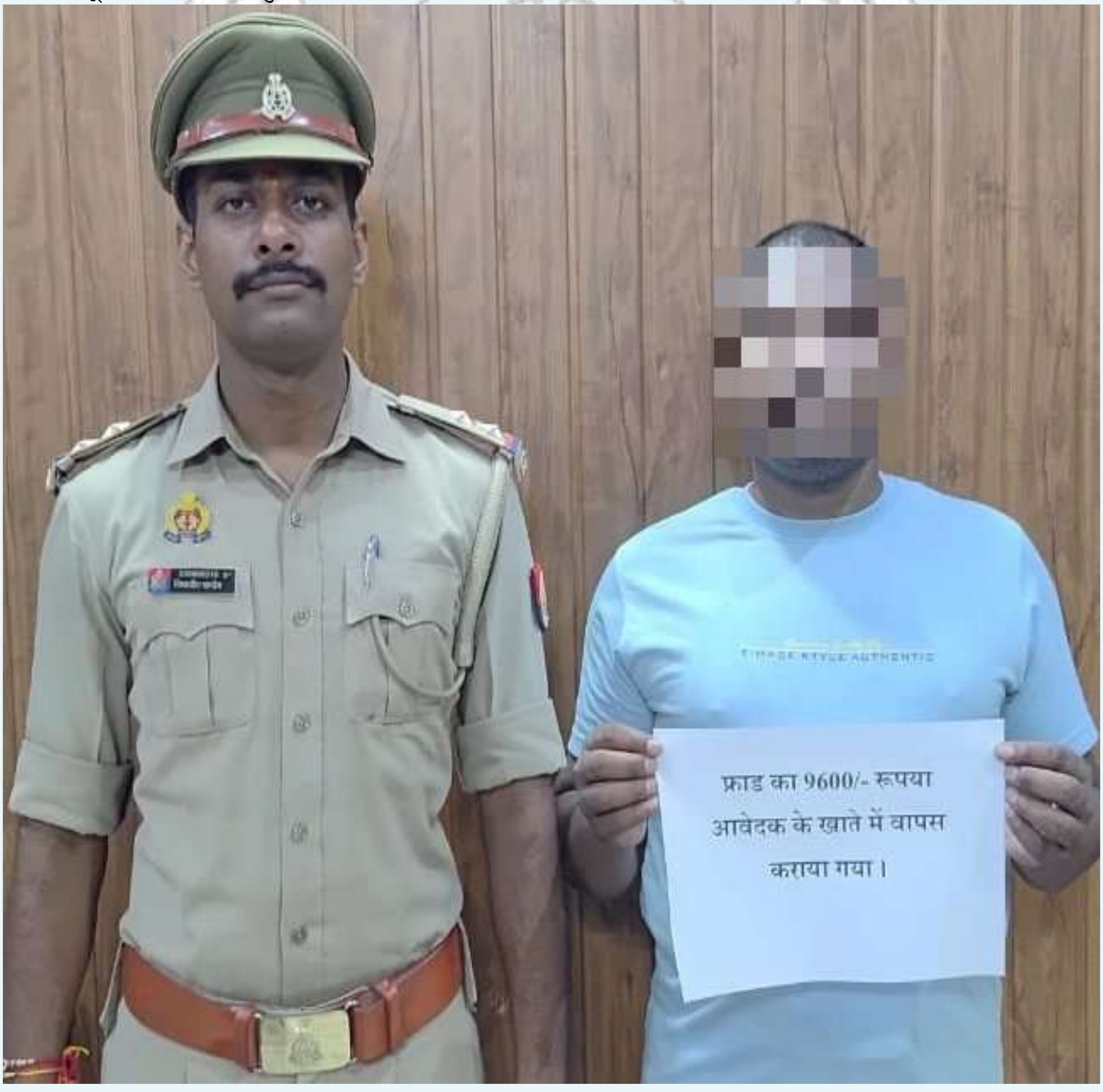

02. थाना- जीयनपुर: साइबर फ्राड के 9,600 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक राजकुमार भास्कर पुत्र राम सुधार प्रसाद निवासी मोलनापुर गोड़ारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा आन लाईन कार्य किया जाता है जिससे मासिक पेमेंट मिलता है दिनांक 05.10.2024 को आन लाईन आरजीए कम्पनी द्वारा एक ग्रुप बनवाया गया जिसमें बारकोड़ के माध्यम से रूपया 122945/- रूपया इन्वेस्ट कराया गया । कुछ दिनों बाद कम्पनी बन्द हो गयी तब आवेदक को एहसास हुआ कि ये कम्पनी मुझसे फ्राड करके पैसा मंगा ली है तब आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी । शिकायत की जाँच उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया ।

घटना का अनावरण–

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक राजकुमार भास्कर पुत्र राम सुधार प्रसाद निवासी मोलनापुर गोड़ारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ का दिनांक 05.10.2024 को फ्राड हुए रूपया 122945/- में से कुल 50813/- रूपया होल्ड कराया गया था जिसमें से दिनांक 06.08.2025 को रूपया 9600 रूपया आवेदक के खाते मे बरामद कराया गया ।

बरामद करने वाली टीम -

1.जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जीयनपुर आजमगढ़

2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2.क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़

03. थाना- कोतवाली: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादिनी असामी देवी पत्नी कैलाश चौहान निवासी खत्रीटोला थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरा पुत्र बजरंगी चौहान गोला मण्डी में पल्लेदारी का काम करता है। दिनांक 27.07.2025 ई0 को समय लगभग 2:30 बजे अपरान्ह चाय लेने के लिये बिल्लू गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता की चाय की दुकान जो श्याम साड़ी घर के बगल में है चाय लेने के लिये गया चाय मांगने पर चाय वाला दुकानदार बिल्लू गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता मेरे पुत्र बजरंगी को माँ बहन की भद्दी-भद्दी गालिया देने लगा मेरे पुत्र बजरंगी के मना करने पर बिल्लू गुप्ता क्रोधित हो कर जान से मारने की नियत से मेरे पुत्र बजरंगी के उपर गरम खौलती हुई चाय फेक दिया जिससे मेरा पुत्र बजरंगी बुरी तरह से झूलस (जल) गया तथा सडक पर गिरकर बेहोश हो गया। प्रार्थिनी ने डायल 112 नम्बर पर पुलिस को बुलाया और घटना की जानकारी दिया पुलिस को मौका (घटना स्थल पर पहुंचने के पहले बिल्लू गुप्ता चाय की दुकान छोडकर भाग गया पुलिस ने फोन करके एम्बुलेन्स बुलाया जिसमें बेहोश (मरणासन्न) मेरे पुत्र बजरंगी एम्बुलेन द्वारा सदर अस्पताल आजमगढ में भर्ती करवाया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 374/25 धारा 109/118(2)/352 बीएनएस दि. 6.8.25 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 08.08.25 को उ0नि0 सूरज चौधरी, हे0कां0 संतोष तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास गुप्ता उर्फ बिल्लू गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी फरासटोला थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को समय 09.05 बजे फरासटोला से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 374/25 धारा 109/118(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विकास गुप्ता उर्फ बिल्लू गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी फरासटोला थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 सूरज चौधरी चौकी प्रभारी एलवल , हे0कां0 संतोष तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़

04. थाना मुबारकपुरः शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना–

दिनांक 04.08.2025 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अभियुक्त श्यामसुन्दर चौहान पुत्र राजकुमार चौहान व उसका साथी मिथिलेश चौहान पुत्र बदामा चौहान निवासी ग्राम लाड़ो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 349/2025 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा किया जा रहा है। विवेचना से अभियोग मे धारा 65(1) BNS व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 07.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्याम सुन्दर चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवाससी लाड़ो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को समय 18.10 बजे नियमानुसार अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 349/2025 धारा 137(2)/87/ 65(1) BNS व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- श्याम सुन्दर चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवाससी लाड़ो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह का0 आनन्द यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

05.थाना – सरायमीर: साइबर फ्राड के 35,000 रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 31.07.2025 को आवेदक आशीष कुमार पुत्र निरंजन निवासी ग्राम धंगवल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा गलती से दूसरे के खाते में 35,000 रू0 ट्रांसफर कर दिया। गलती का अहसास होने पर आवेदक द्वारा तुरन्त साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 331072500xxxxxx दर्ज करा दी गयी।

उक्त शिकायत पर साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर आपरेटर सौरभ थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा विपक्षी से वार्ता कर आवेदक के कुल 35,000 रूपये दिनांक 08.08.2025 को वापस करा दिया गया।

पुलिस टीमः-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।